20-12-23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण या प्रार्थीगण स्वंय उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाने पर भी उपस्थित नहीं हुये। अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थनापत्र अदम पैरवी - अदम हाजिरी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर शामिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई)
RAS